भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2774

दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

2774. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हां। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। एपीडा, अपनी निर्यात सहायता स्कीम के विभिन्न घटकों अर्थात् निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एनईआर के निर्यातक, स्कीम के तहत विभिन्न गतिविधियों/उप-घटकों के लिए उच्च स्तर की सहायता अर्थात् 75% तक (अन्य क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए 50% की तुलना में) के हकदार हैं। एपीडा ने प्रगतिशील किसान समूहों की पहचान करने और किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के लिए निर्यात संयोजकता को मजबूत करने के लिए राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विकास केंद्रों के सहयोग से एनईआर में कई संवेदीकरण बैठकें/कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। एनईआर के निर्यातकों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की गई हैं ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2779
TO BE ANSWERED ON 3rd AUGUST, 2022

AGRICULTURAL EXPORTS

2779. SHRI RAMESH CHAND BIND:
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE:
SHRIMATI APARUPA PODDAR:
DR. SUJAY RADHAKRISHNA VIKHE PATIL:
DR. KRISHNA PAL SINGH YADAV:
SHRI RAJENDRA DHEDYA GAVIT:
DR. HEENA GAVIT:
SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL:
PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)** be pleased to state:

(a) whether the agricultural produces of the country are exported;
(b) if so, the details of wheat, rice, spices and vegetables exported during the last three years and the current year;
(c) the total revenue earned from such exports during the said period;
(d) whether the Government has received any complaints regarding non-payment of remunerative prices to the farmers for their produces and some traders making huge profit out of such exports;
(e) if so, the details thereof along with the action taken by the Government thereon; and
(f) whether any corrective measures have been taken to provide benefit to the farmers in respect of the export and if so, the details thereof?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SMT. ANUPRIYA PATEL)

(a) : Yes, Sir.

(b) & (c) : Details, including values of exports, of wheat, rice, spices and vegetables exported during the last three years and the current year, are as under:

Qty. in MT; Value in USD Million

Principal Components	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (Apr-May)	
	QTY	**Value**	**QTY**	**Value**	**QTY**	**Value**	**QTY**	**Value**
FRESH VEGETABLES	1,930,511	651.68	2,339,675	723.97	2,468,404	815.26	450,711	127.93
RICE -BASMATI	4,454,771	4,372.00	4,630,209	4,018.41	3,943,717	3,537.49	685,530	698.24
RICE(OTHER THAN BASMATI)	5,056,278	2,031.25	13,149,206	4,810.80	17,288,961	6,133.63	2,679,863	963.66
SPICES	1,193,441	3,621.38	1,607,059	3,983.98	1,427,718	3,896.03	221,145	623.92
WHEAT	219,690	62.82	2,154,973	567.93	7,244,842	2,122.13	2,607,659	840.31

Source: DGCI&S

(d) to (f) : The Government has not received any specific complaint regarding traders making huge profit out of exports, without paying remunerative prices to the farmers for their produce. However, the Government has taken steps to provide direct export market linkage to farmers/ Farmer-producer organisations (FPOs). A Farmer Connect Portal has been set up for providing a platform for farmers, FPOs and cooperatives to directly interact with exporters. Capacity building programmes, BSMs, workshops etc. have also been organized to directly involve FPOs in exports.

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2822

दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम से निर्यात

2822. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम में निर्यात वृद्धि के लिए अब तक क्या पहल की गई है;

(ख) असम में इसके लिए अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रतिक्रिया के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्य और आज की तिथि तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असम में इन पहलों के बाद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने असम में इन पहलों की दिशा में अगले कदम के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या **है?**

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार द्वारा असम से निर्यात वृद्धि के लिए की गई मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण **(एपीडा)** द्वारा उठाए गए कदम:

i क्षेत्र के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन करना।

ii. निम्नलिखित घटकों (i) निर्यात अवसंरचना का विकास, (ii) गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सुविधा देने के लिए वित्तीय सहायता स्कीम (एफएएस) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

iii. प्रगतिशील किसान समूहों की पहचान और एफपीओ/एफपीसी के लिए निर्यात संयोजकता को मजबूत करने के लिए राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विकास केंद्रों के सहयोग से एनईआर में कई संवेदीकरण बैठकों/कार्यकर्मों का आयोजन करना ।

iv. कृषि निर्यात नीति के तहत विभिन्न जिलों में निर्यातोन्मुखी उत्पादन कलस्टरों की पहचान की गई है और उन्हें अधिसूचित किया गया है।

(2) रूसी संघ, संयुक्त अरब अमीरात और जीसीसी देशों से चाय आयातकों के लिए क्रमशः मॉस्को और दुबई में भारतीय मिशनों के सहयोग से वर्चुअल मंच पर सितंबर-अक्टूबर 2020 में गहन क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित की गई, जहां एनईआर के कुछ निर्यातकों ने "असम ऑर्थोडॉक्स चाय" और "असम सीटीसी चाय" के संवर्धन के लिए भाग लिया। इसके अलावा, चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत आईसीडी अमिनगांव के माध्यम से चाय के निर्यात के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) **मसाला बोर्ड** द्वारा की गई पहल में फसल-कटाई पश्चात् सुधार और मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू करना शामिल है जो असम में मसाला क्षेत्र के हितधारकों को लाभान्वित कर रही हैं। मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत स्कीम के तहत - वित्तीय वर्ष 2021-22 से मसाला बोर्ड द्वारा असम राज्य में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं:

i. विभिन्न आयातक देशों के लागू मानकों के अनुरूप मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए असम के 500 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी) का आयोजन किया, ताकि निर्यातयोग्य अधिशेष के उत्पादन की सुविधा मिल सके।

ii. सम्पूर्ण भारत में क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित करके मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच बातचीत और प्रत्यक्ष बाजार संयोजकता बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, गुवाहाटी, असम में अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) और मसाला संगोष्ठी आयोजित की गई।

(4) निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत, अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सहायता, सहायता अनुदान के रूप में है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिए यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।

(ख) से (घ):

चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, एपीडा और टीआईईएस द्वारा खर्च की गई राशि अनुबंध में दी गई है। तीन वर्षों के दौरान असम से कुल निर्यात निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)**	**% वृद्धि**
2019-20	436.72	
2020-21	415.62	-4.83
2021-22	450.42	8.37

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ड): एपीडा ने क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई- पूर्व, फसल कटाई-पश्चात प्रबंधन और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

****

अनुबंध

<u>दिनांक 03-08-2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2822 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, एपीडा और टीआईईएस द्वारा खर्च की गई निधि</u>

(i) 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान असम के लिए चाय बोर्ड और मसाला बोर्ड द्वारा उपयोग की गई निधि निम्नानुसार है:

(मूल्य लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	चाय बोर्ड	मसाला बोर्ड
1.	2019-20	307.00	13.97
2.	2020-21	427.00	34.30
3.	2021-22	130.00	60.95

(ii) वित्तीय सहायता स्कीम के तहत असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा खर्च की गई निधि इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	एनईआर में खर्च की गई राशि
1.	2019-20	5.40 करोड़ रूपए
2.	2020-21	3.00 करोड़ रूपए
3.	2021-22	5.40 करोड़ रूपए

(iii) टीआईईएस के तहत असम में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

टीआईईएस के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं के लिए कुल टीआईईएस शेयर	अब तक जारी किया गया कुल टीआईईएस अनुदान
02	22.93	15.42

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2834

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

"आईटीपीओ"

2834. श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री चन्दन सिंह:
श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यावसायिक गतिविधियों में भौतिक अवसंरचना और सेवाओं के प्रबंधन को किस सीमा तक विकसित किया जा रहा है; और

(ग) आर्थिक गतिविधियों के सृजन, निर्यात और सेवाओं को बढ़ावा देने, घरेलू स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर के सृजन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास के लिए आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्य योजना क्या हैं ?

उत्तर

<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क) : भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों के उत्पादों की क्षमता का पता लगाने के लिए विदेश में प्रदर्शनियों में इनकी भागीदारी का आयोजन करता है। पूरे देश में भारतीय कंपनियों को ब्रांड लॉन्च, संवर्धन, स्थितिकरण और नए व्यवसाय गठजोड के साथ-साथ खुदरा बिक्री के लिए साझा मंच प्रदान करने हेतु आईटीपीओ व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) और व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) दोनों घरेलू व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है। इन प्रदर्शनियों में बहु उत्पाद फ्लैगशिप भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) दिल्ली, आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला दिल्ली, भारतीय

अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आईआईएलएफ) चेन्नई, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला (आईआईएफएफ) नई दिल्ली, भारतीय अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्सपो (आईआईएसई) दिल्ली, दिल्ली पुस्तक/स्टेशनरी मेला, नई दिल्ली और नक्षत्र मेला शामिल हैं। आईटीपीओ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों का व्यापक प्रचार करता है।

आईटीपीओ विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों से संबंधित आयोजकों को प्रगति मैदान में खाली जगह (हॉल आदि) और सेवाएं भी प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रदर्शनी कंपनियों को विदेशी प्रतिभागियों सहित इन प्रदर्शनियों में आने वाले अपने संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद/सेवाओं का प्रदर्शन करने में सहायता करता है। इससे भारतीय कंपनियों को अपने व्यवसाय नेटवर्क का निर्माण करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के खरीदारों से सुरक्षित ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है। आईटीपीओ ने वर्ष 2017-18 में 71 मेले, वर्ष 2018-19 में 72 मेले, वर्ष 2019-20 में 69 मेले, वर्ष 2020-21 में 2 मेले (कोविड प्रतिबंध के कारण) और वर्ष 2021-2022 में 25 मेले आयोजित किए हैं।

आईटीपीओ ने चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (आईईसीसी) परियोजना के एक भाग के रूप में अत्याधुनिक 50,000 वर्ग मीटर वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थान के साथ एक नया प्रदर्शनी परिसर (हॉल 2-5) भी बनाया है। ये हॉल दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को आरंभ किए गए थे और इन परिसरों का उपयोग व्यापार और उद्योग द्वारा मेलों के आयोजन और अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है ।

(ख): भारत सरकार निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) ' नामक एक योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, निर्यात अवसंरचना की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के सृजन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन और बुनियादी सुविधाओं के विकास के उद्देश्यों के साथ स्थापित किए जाते हैं। एसईजेड नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड की नीति और परिचालन रूपरेखा पर हितधारकों से प्राप्त इनपुटों/सुझावों के आधार पर, सरकार समय-समय पर एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2847

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

"वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो"

2847. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइब्रेंट इंडिया, 2022 एक्सपो का 8वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मेले की थीम और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) वाइब्रेंट इंडिया, 2022 एक्सपो में कुल कितनी कंपनियों ने भाग लिया और उक्त मेले में कितना अपेक्षित व्यवसाय किया गया;
(घ) उक्त मेले से घरेलू अर्थव्यवस्था और देश में नए व्यापारिक विचारों को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है;
(ड.) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में ऐसे एक्सपो आयोजित करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क) से (ख): वाइब्रेंट इंडिया 2022 के 8 वें संस्करण का आयोजन वाइब्रेंट इंडिया इवेंट सॉल्यूशन, अहमदाबाद नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था। मेले का विषय हाउसवेयर और होम एप्लायेंसिस था।

(ग) से (घ) : मेले का आयोजन एक निजी कंपनी द्वारा किया गया था और उनके द्वारा सूचित किया गया है कि मेले में लगभग 150 कंपनियों ने भाग लिया था। आयोजकों ने इस आयोजन को व्यवसाय से व्यवसाय मेले के रूप में विज्ञापित किया था, जिसमें व्यापारिक आगंतुकों/खरीदारों की मुख्य रूप से देश के भीतर उत्पादों के प्रचार के लिए व्यवसायिक बातचीत होती थी।

(ड.) से (च): भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों के उत्पादों की क्षमता का पता लगाने के लिए विदेश में प्रदर्शनियों में इनकी भागीदारी का आयोजन करता है। पूरे देश में भारतीय कंपनियों को ब्रांड लॉन्च, संवर्धन, स्थितिकरण और नए व्यवसाय गठ जोड के साथ-साथ खुदरा बिक्री के लिए साझा मंच प्रदान करने हेतु आईटीपीओ व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) और व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) दोनों घरेलू व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है। इन प्रदर्शनियों में बहु उत्पाद फ्लैगशिप भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) दिल्ली, आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला दिल्ली, भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आईआईएलएफ) चेन्नई, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला (आईआईएफएफ) नई दिल्ली, भारतीय अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्सपो (आईआईएसई) दिल्ली, दिल्ली पुस्तक/स्टेशनरी मेला, नई दिल्ली और नक्षत्र मेला शामिल हैं। आईटीपीओ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों का व्यापक प्रचार करता है।

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने और घरेलू कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों से संबंधित आयोजकों को प्रगति मैदान में खाली जगह (हॉल आदि) और सेवाएं भी प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रदर्शनी कंपनियों को विदेशी प्रतिभागियों सहित इन प्रदर्शनियों में आने वाले अपने संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद/सेवाओं का प्रदर्शन करने में सहायता करता है। इससे भारतीय कंपनियों को अपने व्यवसाय नेटवर्क का निर्माण करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के खरीदारों से सुरक्षित ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है। आईटीपीओ ने वर्ष 2017-18 में 71 मेले, वर्ष 2018-19 में 72 मेले, वर्ष 2019-20 में 69 मेले, वर्ष 2020-21 में 2 मेले (कोविड प्रतिबंध के कारण) और वर्ष 2021-2022 में 25 मेले आयोजित किए हैं।

आईटीपीओ ने चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (आईईसीसी) परियोजना के एक भाग के रूप में अत्याधुनिक 50,000 वर्ग मीटर वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थान के साथ एक नया प्रदर्शनी परिसर (हॉल 2-5) भी बनाया है। ये हॉल दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को आरंभ किए गए थे और इन परिसरों का उपयोग व्यापार और उद्योग द्वारा मेलों के आयोजन और अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2888

दिनांक 3 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाटन रोधी शुल्क

2888. डॉ.टी.सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों से दालों, खाद्यान्नों, रसायनों और अन्य वस्तुओं पर नया पाटन रोधी कर लगाया है और आयात शुल्क बढ़ा दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयात की प्रतिबंधित और गैर-विनियमित वस्तुओं की सूची क्या है ;
(ग) क्या डीजीएफटी ने एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद उसके बाद विभिन्न पत्तनों पर संगृहीत लेंटिल, दालों और मटर के भण्डारण की अनुमति दी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीजीएफटी के निर्णय के बाद लैंटिल, दाल और मटर की कुल कितनी मात्रा जारी की गई और उससे कितनी राशि प्राप्त की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): केंद्र सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य विभाग के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश पर रसायनों/पेट्रोकेमिकल्स और अन्य मदों के आयात पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया है। विगत तीन वर्षों में जिन वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है, उनकी सूची अनुबंध-। पर है। तथापि, दालों और खाद्यान्नों के आयात पर कोई मौजूदा पाटन रोधी शुल्क नहीं है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हाल ही में सोना, सोलर सैल्स, सोलर मॉड्यूल्स, श्रवण यंत्र आदि पर आयात शुल्क में वृद्धि की है, जिसका विवरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

आयात की प्रतिबंधित वस्तुओं और निषिद्ध वस्तुओं की सूची अनुसूची 1 - आयात नीति - आईटीसी (एचएस) 2022 में उपलब्ध है और इसे डीजीएफटी की वेबसाइट (link: https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export) पर अपलोड किया गया है।

(ग): जी नहीं।

(घ) : वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

अनुबंध- I

दिनांक 03.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतांरकित प्रश्न संख्या 2888 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	उत्पाद	क्षेत्र	शामिल देश
1	कैलसाइंड जिप्सम पाउडर	अन्य उत्पाद	ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई
2	'I-फेनिल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
3	ब्लैक टोनर	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामान	चीन पीआर, मलेशिया और चीनी ताइपे
4	लचीला स्लैबस्टॉक आणविक भार 3000- 4000 का पॉलीओल	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	सऊदी अरब और यूएई
5	एल्युमिनियम फॉयल 80 माइक्रोन और उससे कम	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन पीआर
6	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर-I	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सहायक उपकरण	मलेशिया
7	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल औद्योगिक वर्णक	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
8	पैथालिक एनहाइड्राइड	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर, इंडोनेशिया, कोरिया आरपी, थाईलैंड
9	सोडियम साइट्रेट	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
10	सैकेरिन	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	इंडोनेशिया
1 1	80:20 . के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टोल्यूनि डाइ -आइसोसाइनेट (टीडीआई)	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई
12	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
13	अशोधित फ्यूमड सिलिका	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
14	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर, और कोरिया आरपी
15	एनिलिन	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
16	"एन, एन- डायसाइक्लोहेक्सिल " कार्बोडाइमाइड (डीसीसी)"	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
17	सुगंधित या हेट्रोसायक्लिक यौगिकों के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स को आर्यलाइड्स के रूप में भी जाना जाता है	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
18	सिलिकॉन सीलेंट	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
19	क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (सीपीवीसी) - चाहे आगे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर, और कोरिया आरपी
20	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	चीन पीआर
21	पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेजिन:	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	चीन पीआर
22	पारदर्शी बैकशीट को छोड़कर फ्लोरो बैकशीट	रबर या प्लास्टिक उत्पाद	चीन पीआर
23	पॉलीयुरेथेन चमड़ा जो भी शामिल है किसी भी तरह का टेक्सटाइलकोटेड एकतरफा या दोनों तरफा पॉलीयूरेथेन के साथ	कपड़ा और वस्तु	चीन पीआर
24	क्लियर फ्लोट ग्लास	ग्लास और ग्लासवेयर	मलेशिया
25	रोल्स में फेस्ड ग्लासवूल	ग्लास और ग्लासवेयर	चीन पीआर
26	एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद	स्टील या अन्य धातु उत्पाद	चीन पीआर
27	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	मशीनरी आइटम	चीन पीआर, जापान, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे, वियतनाम
28	मापने वाले टेप-I	अन्य उत्पाद	सिंगापुर, कंबोडिया
29	डेकोर पेपर	अन्य उत्पाद	चीन पीआर
30	एचएफसी ब्लेंड्स	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर
31	एचएफसी घटक	रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद	चीन पीआर

<u>अनुबंध- II</u>

दिनांक 03.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2888 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.	उत्पाद	क्षेत्र	दर से	दर तक
1	सोना	कीमती धातुएं	7.50%	12.50%
2	सोलर सैल्स	नवीकरणीय ऊर्जा	0%	25%
3	सोलर मॉड्यूल्स	नवीकरणीय ऊर्जा	0%	40%
4	निर्दिष्ट मशीनरी	पूंजीगत वस्तुएं	0%/2.5%/5%	7.50%
5	श्रवण यंत्र	इलेक्ट्रानिक्स	15%	20%
6	स्मार्ट मीटर	विद्युत उपकरण	15%	25%

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.2893**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 3 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में चाय का उत्पादन

2893. श्री एम.बदरुद्दीन अजमल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान असम में चाय का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान असम से चाय की कितनी मात्रा विदेशों में निर्यात की गई है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान असम चाय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च मांग होने के बावजूद, उद्योग स्थापित करने के नाम पर असम चाय उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र साफ किया जा रहा है; और
(ड.) यदि हां, तो उक्त कार्रवाई के क्या कारण और औचित्य हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) गत पांच वर्षों के दौरान असम में चाय का वार्षिक उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वर्ष	असम उत्पादन (एम. किग्रा)
2017-18	676.31
2018-19	701.35
2019-20	695.38
2020-21	626.23
2021-22	672.14

स्रोत: टी बोर्ड कोलकाता

(ख) और (ग) चाय बोर्ड, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश के अनुसार निर्यातकों से निर्यात ऑकड़े एकत्र करता है। चाय निर्यात आंकड़े लदान के पत्तन पर आधारित अभिग्रहित हैं और आईसीडी, असम में अमिनगांव से चाय निर्यात के लिए आंकड़े और पिछले 05 वर्षों के दौरान चाय के निर्यात के अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं: -

वर्ष	आईसीडी, अमिनगांव से निर्यात		अखिल भारतीय निर्यात	
	मात्रा (एम.किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मात्रा (एम.किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2017-18	22.03	459.91	256.57	5064.88
2018-19	17.24	394.69	254.50	5506.84
2019-20	10.46	251.41	241.34	5457.10
2020-21	8.71	266.67	203.79	5311.53
2021-22	8.30	265.44	200.79	5415.78

स्रोत: टी बोर्ड, कोलकाता

गत पांच वर्षों के दौरान मूल्य के अनुसार कुल चाय निर्यात रू.5311.53 करोड़ से रू.5506.84 करोड़ के बीच की श्रेणी में है। तथापि, निर्यात बाजारों में असम जैसी एकल मूल चाय द्वारा निर्यात की गई चाय की मात्रा और बिक्री से अर्जित राजस्व की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि निर्यातकों द्वारा चाय आयातक देशों में विभिन्न खरीदारों का प्रबंधन करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इस किस्म को अन्य एकल मूल चाय के साथ मिश्रित किया जाता है।

(घ) और (ड.) : असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चाय की झाड़ियों वाले चाय बागान क्षेत्रों की सफाई की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2804

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

जीएम मक्के का आयात

2804 श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या मंत्रालय को आनुवंशिक रुप से संशोधित (जीएम) मक्का के आयात की अनुमति के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय जीएम मक्का के आयात की अनुमति देने पर विचार नहीं कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख)ः जी हां। आनुवंशिक रुप से संशोधित (जीएम) कॉर्न/टूटा कॉर्न/मक्का के आयात की अनुमति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचएंडडी), उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत किए गए हैं और इन पर मौजूदा नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2860

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

गेहूं का निर्यात

2860 श्री पी.सी. मोहनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान गेहूं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात जारी रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं के निर्यात के मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर में)
2019-20	62.8
2020-21	567.9
2021-22	2121.5
2022-23 (1 अप्रैल–21 जुलाई)*	1189.3

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस *आंकड़े अनंतिम हैं।

उपर्युक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते है कि वर्ष 2019–20 से गेहूं के निर्यात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के कारणों में अंतर्राष्ट्रीय मांग–आपूर्ति की स्थिति, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, गेहूं की उच्च घरेलू आपूर्ति, यूक्रेन और रूस जैसे प्रमुख गेहूं निर्यातक देशों के बीच संघर्ष आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने दिनांक 13.05.2022 की अधिसूचना संख्याः 06/2015–2020 के द्वारा गेहूं के निर्यात को निषिद्ध किया है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां स्विफ्ट में साख पत्र (एलसी) संदेश का आदान–प्रदान दिनांक 13.05.2022 को या उससे पहले हुआ है या खाद्य सुरक्षा की स्थिति का सामना कर रहे कमजोर और पड़ोसी देश निर्यात का अनुरोध करते हैं। गेहूं के निर्यात की निरंतरता घरेलू आपूर्ति की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मांग–आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2886**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

आयात कम करना

2886 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार ने विश्व में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण देश में महंगे आयातों और आयात मुद्रास्फीति, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है, को नियंत्रित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में आयात को कम करने और यथासंभव अधिकतम आयातित उत्पादों का देश में ही उत्पादन करने के लिए एक नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार आयात की बारीकी से निगरानी करती है और इसने घरेलू क्षमताओं की सहायता करने और विस्तार करने, भारतीय विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, मूलभूत दक्षता/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करने और प्रमुख क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है।

(ग) और (घ): प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं की सहायता करने और विस्तार करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरुप उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसी नीतियों को लागू किया है। इसके अलावा, आयातित उत्पादों के मानकों और गुणवत्ता के रखरखाव हेतु कई उत्पादों के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) बनाए गए हैं। इससे घटिया उत्पादों का आयात रुकेगा। आयातों के विरुद्ध व्यापार संबंधी कई उपचारात्मक कार्रवाईयां की गई हैं ताकि घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार से होने वाली गंभीर क्षति से बचाया जा सके।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2898

दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटा

2898 श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश का व्यापार घाटा कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में इसमें किस सीमा तक कमी या वृद्धि हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): व्यापार घाटा वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग एवं आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतों आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है। भारत में कोविड अवधि के दौरान लगातार कुछ महीनों के लिए समग्र (वस्तुओं और सेवाओं) व्यापार अधिशेष था, इसके बाद कोविड और रूस–यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं के निरंतर व्यवधान की वजह से व्यापार घाटा बढ़ गया है।

(ग) व्यापार घाटा वर्ष 2004–05 से 2013–14 के दौरान (पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान) 636.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर था और वर्ष 2014–15 से 2021–22 के दौरान (वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान) यह 510.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर था।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2871

दिनांक 3 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागान के श्रमिकों का कल्याण

2871. डॉ.जयंत कुमार राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागान के श्रमिकों के कल्याण हेतु 2021-2022 के केंद्रीय बजट में 1000 करोड़ रुपयों को आवंटन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक खर्च की गयी निधियों, किये गए कार्यो और लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोनों राज्यों में उपर्युक्त निधियों हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;
(घ) पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा चाय बागान के श्रमिकों के कल्याण हेतु अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए तैयार की जाने वाली योजना के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान चाय बोर्ड के बजट में प्रावधान कर 200.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे। सरकार इस योजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के प्रावधान के लिए ये कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, अवसंरचना जैसे क्षेत्रों से संबंधित होंगे। योजना के दिशा-निर्देशों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(घ): पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में चाय बागान श्रमिकों के वेतन का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ड.):देश में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और कल्याणकारी उपाय बागान श्रम अधिनियम, 1951 (पीएलए) द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम में नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं सहित श्रमिकों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रूपों को प्रदान करना अपेक्षित है। चाय और कॉफी श्रमिकों और उनके परिवारों सहित बागान श्रमिकों के लाभ के लिए चाय और कॉफी बागानों में और कार्य स्थलों के आस पास बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा, पेयजल, सफाई, कैंटीन, क्रैच और मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान हैं।

पीएलए के अलावा, कई अन्य औद्योगिक और सामाजिक सुरक्षा विधान जैसे कि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि और जमा संबद्ध बीमा निधि योजना अधिनियम 1955 - केवल असम के लिए), बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 आदि चाय और कॉफी बागान श्रमिकों को ग्रेच्युटी, बोनस, भविष्य निधि, समान पारिश्रमिक आदि जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। इन अधिनियमों के प्रावधानों को अब चार श्रम संहिताओं-व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियां संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, 2020 और मजदूरी पर संहिता 2020 में सम्मिलित कर दिया गया है।

चाय बोर्ड ने 2017-18 से 2019-20 तक मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) की अवधि के दौरान "चाय विकास और संवर्धन योजना" के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के तहत कतिपय कल्याणकारी गतिविधियों को भी लागू किया है और इन्हें 2020-21 तक बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और उत्पादकों / श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। एमटीएफ अवधि के दौरान एचआरडी घटक के तहत 18.11 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई।

2021-22 से 2025-26 तक 15 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित "चाय विकास और संवर्धन योजना" में छोटे चाय उत्पादकों और उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए भी एक घटक है।

****

अनुबंध

चाय बागान श्रमिकों के वेतन का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बागान जिला	प्रभावी तिथि/अवधि	दैनिक मज़दूरी (रुपये में)
1	असम	क) ब्रह्मपुत्र घाटी	22.02.2021	205.00
		ख) बराक घाटी		183.00
2	पश्चिम बंगाल	ग) डुआर्स	01.01.2022	232.00
		घ) तराई		
		ड.) दार्जिलिंग		
3	त्रिपुरा		01.04.2018	176.00
4	तमिलनाडु (नीलगिरी और नीलगिरी - वायनाड, अनामलाईस)		जुलाई 2022 से सितंबर 2022	406.80
5	केरल			421.26
6	कर्नाटक			376.78
7	हिमाचल प्रदेश		25.05.2022	350.00
8	उत्तराखंड		जुलाई, 2020	330.00
9	सिक्किम		15.09.2017	300.00
10	बिहार		जनवरी, 2020	175.00

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2880

दिनांक 3 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2880. श्री नितेश गंगा देब :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो एफटीए के अंतर्गत दोनों देशों द्वारा चिन्हित किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दोनों देशों को वर्ष 2025 तक कोई लक्ष्य प्राप्त करना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 18 फरवरी, 2022 को भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन की साइड-लाईन्स पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत-यूएई सीईपीए 01 मई 2022 को लागू हुआ।
(ख): भारत-यूएई सीईपीए एक व्यापक समझौता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, फार्मास्युटिकल उत्पाद, सरकारी प्रापण, बौद्धिक संपदा, निवेश और व्यापार, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।

भारत और यूएई के बीच सीईपीए क्रमशः भारत (11,908) और यूएई (7,581) की लगभग सभी 8-अंकीय सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था (एचएस) टैरिफ लाइनों को कवर करता हैं । भारत को यूएई द्वारा अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर प्रदान की जाने वाली अधिमानी बाजार पहुंच से लाभ होगा, जो मूल्य के संदर्भ में यूएई को भारतीय निर्यात का 99% हिस्सा है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवीयर, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र भारत के लिए शीर्ष लाभार्थियों में से एक होने की उम्मीद है। भारत द्वारा यूएई को दी जाने वाली, विशेष रूप से कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों जैसे कच्चे पेट्रोलियम, कतिपय पेट्रोकेमिकल्स और सोना में टैरिफ रियायतें, रत्न और आभूषण और प्लास्टिक जैसे डाउनस्ट्रीम

श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए इनपुट लागत को कम कर देंगी, और इन डाउनस्ट्रीम उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा प्रदान करेंगी।

भारत और यूएई के बीच आदान-प्रदान की गई टैरिफ रियायतों का सारांश

	भारत		**यूएई**	
टैरिफ रीति	**लाइनों की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइनों का %**	**लाइनों की संख्या (एचएस 8-अंकीय स्तर)**	**कुल लाइनों का %**
टीईआई	7694	64.61%	6090	80.33%
टीईपी (5/7/10 वर्षों में)	2401	20.16%	1269	16.74%
टीआर/टीआरक्यू	656	5.51	35	0.46%
अपवर्जन	1157	9.72	187	2.47%
कुल लाइनें	**11908**	**100%**	**7581**	**100%**
टैरिफ रीति का विवरण: टीईआई: तत्काल टैरिफ उन्मूलन; टीईपी: चरणबद्ध टैरिफ उन्मूलन; टीआर: टैरिफ में कमी;टीआरक्यू: टैरिफ दर कोटा				

भारत-यूएई सीईपीए के तहत वस्तुओं में व्यापार पर क्रमशः भारत और यूएई की विशिष्ट टैरिफ प्रतिबद्धताओं की अनुसूचियां निम्न में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं:

https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/03/Chapter-2-Annex-2A-Copy-of-India-UAE-CEPA-Final-Offer-to-UAE-Schedule-of- Tariff-Concessions-As-shared-on-20.12.21-1045 AM.pdf

https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/03/Chapter-2-Annex-2B-Final-UAE-Revised-Market-Access-Offer-2118-Dec-18-2021.pdf

सेवाओं में व्यापार के संबंध में, भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे 'व्यावसायिक सेवाओं', 'संचार सेवाओं', 'निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं', 'वितरण सेवाएं', 'शैक्षिक सेवाएं', 'पर्यावरण सेवाएं', 'वित्तीय सेवाएं', 'स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं', 'पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं', 'मनोरंजक सांस्कृतिक और खेल सेवाएं' और 'परिवहन सेवाएं' से लगभग 100 उप-क्षेत्रों को प्रतिबद्ध किया है जबकि यूएई ने लगभग 111 उप-क्षेत्रों को प्रतिबद्ध किया है।

भारत और यूएई की क्रमशः सेवाओं में व्यापार पर विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की अनुसूचियां निम्न में सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध हैं:

Chapter-8-Annex-8A.pdf (commerce.gov.in)

https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/03/Chapter-8-Annex-8B.pdf

(ग) और (घ): भारत-यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 बिलियन अमरीकी डॉलर (वित्त वर्ष 2019-20 में) से बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डॉलर सालाना होने का अनुमान है।

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं.2915
वाणिज्य विभाग	

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता

2915. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(ख) क्या इससे स्थानीय उत्पादकों को बाधाओं का सामना करना पड़ेगा;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत -ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इंड-ऑस ईसीटीए का विवरण सार्वजनिक उपलब्ध है और इसे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट में वेबलिंक https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ind-aus-ecta पर देखा जा सकता है।

(ख) से (घ): इंड-ऑस ईसीटीए से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विकास और रोजगार होगा। इंड-ऑस ईसीटीए पर विभिन्न हितधारकों और हित समूहों के साथ गहन परामर्श करने के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। घरेलू उद्योग के हितों की संरक्षा के लिए कई संवदेनशील मदों को हमारे अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है; उत्पत्ति के सख्त नियम; चौदह वर्षों के लिए द्विपक्षीय संरक्षोपाय उपाय, और पन्द्रह वर्षों के बाद एक अनिवार्य समीक्षा है ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2918**

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चावल का निर्यात

2918. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चावल के ग्रेड सहित वर्ष-वार किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया गया था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चावल के निर्यात से अर्जित राजस्व का ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बासमती चावल के अलावा अन्य किस्म के चावल के निर्यात के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ ।

(ख) और (ग): देशों का ग्रेड-वार (बासमती और गैर-बासमती) विवरण, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल का निर्यात किया गया था,निर्यात के मूल्य सहित, अनुबंध में हैं।

(घ) और (ड.): कृषि वस्तुओं जैसे गैर-बासमती चावल के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), को गैर-बासमती चावल के निर्यात संवर्धन का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा गैर-बासमती चावल के निर्यातकों को अपनी स्कीम "एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के अन्तर्गत सहायता प्रदान करता है। बासमती के साथ-साथ गैर-बासमती चावल के निर्यात संवर्धन के लिए एपीडा के तत्वावधान में एक निर्यात संवर्धन फोरम (ईपीएफ) भी स्थापित किया गया है। निर्यातकों/राज्य सरकारों को वाणिज्य विभाग की विभिन्न अन्य स्कीमों अर्थात् निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम आदि के अन्तर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है।

****

बासमती चावल का निर्यात

मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

देश	2019-20	2020-21	2021-22
ईरान	1246.02	590.67	818.36
सऊदी अरब	955.89	951.99	646.22
इराक	433.92	499.62	400.49
संयुक्त अरब अमीरात	209.17	203.59	221.11
यमन गण.	195.65	278.32	183.95
अमेरीका	181.26	194.57	183.86
कुवैत	201.05	168.26	128.86
यूके	103.79	139.50	116.73
ओमान	75.87	88.69	73.32
कतर	64.95	96.47	64.19
कनाडा	61.33	70.83	63.10
जॉर्डन	67.25	62.94	57.15
इजराइल	43.00	52.38	50.22
ऑस्ट्रेलिया	51.99	64.51	49.63
मलेशिया	34.45	39.36	46.62
मिस्र अरब जन.गण.	20.98	25.26	38.62
नीदरलैंड	45.07	68.10	36.06
बहरीन द्वीप	32.45	37.59	32.51
मॉरीशस	30.64	31.32	24.48
दक्षिण अफ्रीका	19.03	17.87	16.48
अन्य देश	298.24	336.57	285.54
कुल	**4372.00**	**4018.41**	**3537.49**

गैर बासमती चावल का निर्यात

मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

देश	2019-20	2020-21	2021-22
बांग्लादेश जन.गण.	12.12	350.97	613.95
बेनिन	195.90	442.97	531.39
चीन जन.गण.	0.78	103.70	496.65
नेपाल	245.30	405.26	461.49
कोत दिव्वार	107.70	260.30	322.65
सेनेगल	67.49	304.88	311.91
टोगो	107.90	283.02	293.99
गिनी	120.41	224.50	243.81
वियतनाम सं.गण.	0.78	90.15	231.10
मेडागास्कर	3.69	127.22	188.84
श्रीलंका लो.स.गण.	1.98	1.13	167.67
कैमरून	3.49	57.68	165.04
ज़िबूटी	69.04	113.18	156.50
सोमालिया	122.95	127.63	154.96
लाइबेरिया	79.94	126.27	124.57
मलेशिया	28.62	174.37	121.84
संयुक्त अरब अमीरात	130.92	142.64	116.24
अंगोला	13.62	40.57	95.73
मोज़ाम्बिक	4.51	69.26	88.77
दक्षिण अफ्रीका	51.90	90.59	73.65
अन्य देश	662.19	1274.49	1172.86
कुल योग	**2031.25**	**4810.80**	**6133.63**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2946

<u>दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

रत्न और आभूषण निर्यात केंद्र

2946. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कारीगरों और व्यापारियों के लिए रत्न और आभूषण निर्यात केंद्र बनाने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कारीगरों और व्यापारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अमृतसर में इसकी अच्छी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए रत्न और आभूषण निर्यात केंद्र बनाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्तमान में जम्मू और कश्मीर,लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के कारीगरों और व्यापारियों के लिए रत्न और आभूषण निर्यात केंद्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2967

दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ बोर्ड

2967. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रबड़ बोर्ड का पुनर्गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो रबड़ बोर्ड के सदस्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रबड़ बोर्ड का पुनर्गठन रबड़ अधिनियम, 1947 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार का रबड़ अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का विचार है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों से सिफारिश/सुझाव मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): रबड़ नियम, 1955 के नियम 3 और 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने दिनांक 28.06.2022 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्यांक का.आ.2980 (अ) द्वारा रबड़ बोर्ड का पुनर्गठन किया है । रबड़ बोर्ड के सदस्यों के बारे में विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ङ) से (छ): देश में रबड़ और संबद्ध क्षेत्र के विकास के संदर्भ में समग्र बाजार परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, कतिपय पुरातन प्रावधानों को हटाने, व्यापार करने में सुगमता के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने और विश्व स्तरीय रबड़ उद्योग बनाने के लिए सरकार मौजूदा रबड़ अधिनियम 1947 को निरस्त करना और एक नया विधान अधिनियमित करना उपयुक्त समझती है। इस संबंध में, व्यापक परामर्श और जनता/हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए इस विभाग और रबड़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक मसौदा विधेयक 'रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक 2022' को होस्ट किया गया था। 522 हितधारकों और जनता ने मसौदा 'रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक 2022' पर अपनी आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2022 थी। परिभाषाओं, उद्देश्यों, बोर्ड के गठन, कार्यों, रबड़ के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य से संबंधित प्रावधान, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, कृषि उत्पाद के रूप में रबड़ की स्थिति को घोषित करने संबंधी प्रावधानों, रबड़ अधिनियम 1947 को निरस्त न करने का अनुरोध आदि के संबंध में सिफारिशें/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

****

अनुबंध

निम्नलिखित व्यक्ति रबड़ बोर्ड के सदस्य हैं:-

1. डॉ.सावर धनानिया - अध्यक्ष
2. डॉ संदीप सक्सेना , आईएएस - सदस्य; अपर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार,
3. श्री अनिल कुमार जी –सदस्य;
4. डॉ.रतन यू केलकर,आईएएस-सदस्य; सचिव,कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, केरल सरकार,
5. डॉ. के. इलानगोवन, आईएएस- सदस्य; प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,सरकार सचिवालय, केरल सरकार,
6. श्री एन.हरि –सदस्य;
7. श्री प्रसेनजीत बिश्वास, आईएफएस (सेवानिवृत्त), त्रिपुरा –सदस्य;
8. निदेशक या उप सचिव (बागान) वाणिज्य विभाग–सदस्य;
9. अवर सचिव (बागान) वाणिज्य विभाग- सदस्य;
10. बागवानी आयुक्त कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार-सदस्य;
11. श्री. एन.के. प्रेमचंद्रन - सदस्य, संसद सदस्य, लोकसभा
12. श्री नलीन कुमार कटील - सदस्य, संसद सदस्य, लोकसभा
13. श्री विनय दीनू तेंदुलकर - सदस्य, संसद सदस्य, राज्य सभा
14. कार्यपालक निदेशक, रबड़ बोर्ड - पदेन सदस्य
15 . रबड़ उत्पादन आयुक्त, रबड़ बोर्ड - पदेन सदस्य